तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/8317/2006/बारां** **द्वारकीलाल बनाम मदनलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
श्री जी0एस0 चारण, मोबिन बानो अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–04.12.2025

1– उक्त अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–11–2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2– विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गयी।

3– अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाण्ट की खातेदारी की खसरा संख्या 355 रकबा 1.84 है0 में से 0.16 है0 भूमि विपक्षी के नाम दज्र करने के आदेश प्रदान किये जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। न्यायालय उप जिला कलक्टर ने अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया एवं ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। उक्त बिन्दु पर गौर न कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है। न्यायालय उप जिला कलक्टर ने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय रिपोर्ट पर आधारित होकर निर्णय पारित किया है जबकि यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है यहां यह उल्लेखनीय है कि एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी अपीलाण्ट को नहीं दिया गया। भू प्रबंध से पूर्व खसरा नम्बर 193 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 193/294 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 993/294 मिन रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के परिवारजनों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसके भू प्रबंध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 251 रकबा 2.27 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 2.26 है0, खसरा नम्बर 353रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 355 रकबा 1.84 है0 कायम किये गया। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 353 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 355 रकबा 1.84 है0 भूमि अपीलाण्ट को बंटवारे में प्राप्त हुई तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 353 व 355 की सम्पूर्ण भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज है अर्थात अपीलाण्ट सैटलमेण्ट से पूर्व जिस स्थान पर काबिज काश्त था सेटलमेण्ट के पश्चात् भी उसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/8317/2006/बारां** **द्वारकीलाल बनाम मदनलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थान पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त बिन्दु पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की गयी है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–11–2006 एवं न्यायालय उप जिला कलक्टर मांगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–08–2006 निरस्त फरमाये जावे। 4– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने दौराने बहस अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट को आधार मानते हुए निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी। अपीलाण्ट को परीक्षण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश समवर्ति आदेश है। रेस्पो0 की खाते की भूमि मौके पर कम थी जिसकी पूर्ति हेतु धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जिसमें पडौसी काश्तकार से उनका रकबा पूर्ति करवाया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय बहाल रखे जावें। 5– हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा पत्रावली पर की गयी बहस पर मनन किया। रेस्पो0 क्रम 01 व 02 ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर दौराने सेटलमेण्ट अपने पुराने खसरा नम्बर में की गयी कमी की पूर्ति हेतु कथन किया तथा खसरा नम्बर 369, खसरा नम्बर 369/484 एवं खसरा नम्बर 517 कुल रकबा 3.79 है0 तथा खसरा नम्बर 361 रकबा 1.12 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 22–08–2006 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के कमी रकबा की पूर्ति पडौसी के खसरा नम्बर 362, खसरा नम्बर 355, खसरा नम्बर 303, खसरा नम्बर 317, खसरा नम्बर 360, खसरा नम्बर 370, खसरा नम्बर 380 में से कुल रकबा 0.53 है0 की पूर्ति करने तथा शेष रकबा 0.03 है0 की पूर्ति खसरा नम्बर 384 किस्म गै0मु0 नहर से किये जाने के आदेश पारित किये तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–08–2006 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 30–11–2006 के द्वारा प्रथम अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/8317/2006/बारां** **द्वारकीलाल बनाम मदनलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–11–2006 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 पेश किये जाने के उपरांत तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए परीक्षण न्यायालय ने रकबा कमी पूर्ति करने तथा तहसीलदार को पालना करने हेतु आदेशित किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यदि मौका रिपोर्ट तलब की गयी है तो वह उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तलब किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण को उपर किये गये विवेचन/विश्लेषण के आधार पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझतें हैं। इसके अलावा पत्रावली के साथ संलग्न अन्य प्रार्थना पत्रों का भी निस्तारण इस निर्णय के माध्यम से किया जाता है। 6– परिणामतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2006 व परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर मांगरोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–08–2006 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर मांगरोल को पैरा संख्या 05 में किये गये विवेचन/विश्लेषण के आधार पर प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है की वे प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के समक्ष दिनांक 20–01–2026 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। (डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा) सदस्य	